

कार्यालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ () Reader. /2025/ 201-3

दिनांक 06-05-2025

1. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा (राज.)
2. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

विषय : निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय के निम्नानुसार प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 निर्णय की प्रतियाँ इस पत्र के संलग्न पालनार्थ भिजवाई जा रही है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक
1	08/2024	पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा बनाम श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा निवासी शेर विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना राजतलाब बांसवाड़ा (राज.)	06.05.2025

कृपया पावती से अवगत करावें।

(अभिषेक गोयल)

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :-

सहायक निदेशक, अभियोजन, बांसवाड़ा।

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)



न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 08/2024

Gems reg. No. 2024/34

प्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा
निवासी शेरे विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना
राजतलाब बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा निवासी शेरे विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना राजतलाब बांसवाड़ा (राज.) के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नम्बर	न्यायालय निर्णय
1	269/24.05.2011	13 आरपीजीओ	179/28.05.2011	सजा
2	133/28.03.2017	13 आरपीजीओ	96/31.03.2017	सजा
3	004/04.01.2018	13 आरपीजीओ	32/27.02.2018	सजा
4	119/18.02.2019	13 आरपीजीओ	54/25.02.2019	सजा
5	300/08.07.2021	13 आरपीजीओ	192/30.07.2021	सजा
6	085/09.11.2022	13 आरपीजीओ	40/15.11.2022	सजा
7	094/11.04.2023	13 आरपीजीओ	53/18.04.2023	सजा
8	244/11.09.2023	13 आरपीजीओ	164/15.11.2023	सजा

इस प्रकार गैरसायल श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा निवासी शेरे विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना राजतलाब बांसवाड़ा (राज.) जो राजस्थान जुआ अधिनियम के तहत कुल 8 प्रकरण में दोषसिद्ध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट



Scanned with OKEN Scanner

ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल चोरी छुपे अभी भी अवैध जुआ-सट्टे में लिप्त है। गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 09-04-2024 को अप्रार्थी गैरसायल की ओर से श्री दिलीप कुमार गुप्ता व श्री मोहम्मद शमीम खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। अप्रार्थी/ गैर सायल ने दिनांक 06-05-2025 को अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर इस्तगासा में अंकित आरोपो स्वीकार कर प्रकरण में नरमी का रुख अपना कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल पर धारा 13 आरपीजीओ में कुल 8 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 8 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। गैर सायल चोरी छुपे अभी भी अवैध जुआ-सट्टे के धन्धे में लिप्त है।

हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 8 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है एवं परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। प्रकरण में आरोपी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित 8 प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा निवासी शरे विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना राजतलाब बांसवाडा (राज.) को


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)



राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि -

1. श्री बादर खां पिता श्री अल्लारखा निवासी शोरे विलास हुसैनी चौक, पुलिस थाना राजतलाब बांसवाडा (राज.) को जिला बांसवाडा की सीमा से 15 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) अन्तर्गत क्षेत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
2. यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।
4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 06/05/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाडा (राज.)